

मह।-अगले सप्ताह तक तुलना द्वारा 04 सर्वेक्षिकीय ग्राम सौकरपुर,साधुर,खरौंदई एवं रीतखपुर में पूर्ण करके जगें का अंशदान दिए गए।

अब निर्देश:-

जिल्लाधिकारी,महोदय द्वारा अधिवासी अधिपता जलनियम कन्वीज को अधिनियम लागू लागू पिलने से अधिपता जगें का मुकदमारे परबनियता पर कराये जाने से निर्देश दिए गये। जिल्लाधिकारी,महोदय द्वारा मेरवा चौक,पुलह इन्का को खाल एवं विचारनाम इन्का को दुरिपता इन्का विरुद्ध कालन में वाकाल करने से निर्देश अधिवासी अधिपता,जलनियम कन्वीज को दिए गये।

2- साईजीडीआरएल विकासों से सम्बन्ध में असापुष्ट रीक बैठ से दुरिपता जिल्लाधिकारी,महोदय द्वारा अधिवासी अधिपता,जलनियम कन्वीज को निर्देशित किया गया कि समस्त सहायक/अन्य अधिपताओं को असापन विकासों का मुकदमाला पूर्ण किताना प्राप्त किया जाए।

स/-
(एचडीडीकेवी)
जिला विकास अधिकारी
कन्वीज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जलनियम-कन्वीज।

परीक 946 / जल जिला जलनियम/सहायक/2025-26 दिनेक 20/11/2025

प्रतिनिधि-जिल्लाधिकारी को सूचनाएं एवं वाकाला कार्यावली हेतु भेजा।

1. अधिवासी निर्देशक,राज्य सेवाजल एवं अंशदान निगम, लखनऊ।
2. अंशदान निर्देशक,जलनियम जलनियम (ग्रामीण) जलनियम।
3. जिल्लाधिकारी,महोदय कन्वीज।
4. मुख्य विकास अधिकारी,महोदय कन्वीज।
5. अधिवासी अधिपता,जलनियम (ग्रामीण) कन्वीज।
6. जिला सेवाजल राज अधिकारी, कन्वीज।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी,जलनियम कन्वीज।
8. मेरवा चौक,पुलह इन्का निम्न निर्देशित।
9. मेरवा चौक,पुलह इन्का निर्देशित।

Digitally signed by
NARENDRA DEV DWIVEDI
Date: 2023.11.20 13:01:49
जिला विकास अधिकारी,
कन्वीज।